

परिशिष्ट - एक

विधानसभा अंतराधिकृत प्रश्न क्रमांक 3128 माननीय विधायक श्री उमंग सिंघार के प्रश्न की विस्तीय वर्ष 2024-25 में पिछड़ा वर्ग प्री-मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक तथा छात्रवास (छात्रगृह) योजनांतर्गत चाही गई जानकारी/उत्तर दिनांकुसार है:-

क्र.	योजना का नाम	आवंटित राशि	वितरित राशि	अप्रयुक्त राशि	अप्रयुक्त रहने का कारण	नगा नग राशि किमी अन्य योजना/कार्यक्रम में स्थानांतरित की गई	वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति नई मिल पाने वाले पात्र विद्यार्थियों की संख्या	पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाने का कारण
1	पिछड़ा वर्ग प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2880000000	2056218200	823781800	स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मांग न किए जाने के कारण	नहीं	99112	Account/ Transaction failed होने के कारण छात्रवृत्ति भुगतान संभव नहीं हो सका। छात्रवृत्ति का भुगतान सतत प्रक्रिया है। समस्त पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।
2	पिछड़ा वर्ग प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना	14600000000 (केन्द्रांश) 20000000000 (केन्द्रांश)	10766563109 (राज्यांश) 655263000 (केन्द्रांश)	3833436891 (राज्यांश) 134473700 0 (केन्द्रांश)	मार्च 2025 के अंतिम समय राशि प्राप्त होने के कारण राशि का आहरण नहीं हो सका। वजट प्रावधान के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा कम राशि रु. 1048663000 कीकत होने के कारण	नहीं	19946	<ul style="list-style-type: none"> महाविद्यालय/नोडल संस्था द्वारा सत्यापन उपरान्त यथा समय भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है एवं कतिपय प्रकरणों में तकनीकी कारणों, ट्राजेव्शन फेल होने, परीक्षा परिणाम विलंब से आने आदि के कारण विलंब की स्थिति निर्मित होती है, किन्तु पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान अगले विस्तीय वर्ष में किया जाता है। वजट प्रावधान विस्तीय वर्षवार किया जाता है। जबकि छात्रवृत्ति आवेदन शैक्षणिक सत्रवार प्राप्त होते हैं। जो कि नून मात्र से प्राप्त होते हैं।

अनुभाग अधिकारी

मध्य प्रदेश शासन

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, भोपाल

प्रश्न सं. [क्र. 3128]

[27/2/2026]

क्र.	योजना का नाम	आवंटित राशि	वितरित राशि	अप्रयुक्त राशि	अप्रयुक्त रहने का कारण	क्या यह राशि किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में स्थानांतरित की गई	वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध नहीं किए जाने वाले पत्र विद्युतियों की संख्या	पत्र छात्रों को उपलब्धित कर लाभ नहीं मिल पाने का कारण
3	छात्रवास (छात्रागृह) योजना	3080000	2778000	302000	जिलों से राशि की मांग न होने के कारण	नहीं	निरंक	<ul style="list-style-type: none"> पोस्ट भौतिक छात्रवृत्ति नियमानुसार पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी की पात्रता शर्तों में वार्षिक 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। जिस कारण भुगतान में विलंब होता है।



Digitally signed by
Homendra Patle
Date: 2026.07.26 10:00:00
पिछड़ा वर्ग/लक्षित श्रेणियों के छात्रों के लिए
भारत सरकार

पिछड़ा वर्ग/लक्षित श्रेणियों के छात्रों के लिए
भारत सरकार